समक्ष मानूनीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुक्के पिता गोकल गौड(आदिवासी)
निवासी ग्राम-रहली खास वार्ड नं03
तह0रहली जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के रा0प्र0क्र0 23अ/21वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 24.11.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के नाम ग्राम महेन्द्रा प0ह0नं031 तह0 रहली स्थित भूमि ख0नं0 11/19,11/21 रकवा क्रमशः 2.00, 0.50 हे0 कुल रकवा 2.50हे0 भूमि है जो कि राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। आवेदक की उम्र 60 वर्ष है एवं वह आदिवासी है उसकी कोई संतान नहीं है मात्र उसकी पत्नि है जो कि बीमार रहती है इस कारण से आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी भूमि स्वामी हक की कुल भूमि 2.50 हे0में से 2.00हे0 भूमि का विक्रय करना चाहता है। आवेदक के उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् जाँच हल्का पटवारी से कराकर एवं ग्रामवासियों के ब्यान आदि प्रस्तुत कराकर अपना प्रतिवेदन दिनाँक 02.06.2015 को तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने का विवादित आदेश दिनाँक 24.11.2015 पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

Page-2Cont----

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/563/II/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-2-16	1– आवेदक की ओर अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी अनावेदक की ओर से शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों को प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। 2– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 23/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। 3– आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम महेन्द्रा तह0 रहली ख0नं0 11/9, 11/21 रकवा क्रमशः 2.00, 0.50है0 कुल 2.50है0 भूमि है। आवेदक वृद्ध है एवं कोई संतान नहीं है मात्र पत्नि है जिसके ईलाज हेतु उसे पैसे की आश्यकता है इस कारण सद्भावनावश आवेदक द्वारा कुल भूमि में से 2.00है0 भूमि की अुनमति बावत् आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विकय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया था वह पत्नि की बीमारी हेतु राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किया था तथा विधिवत् निष्पादित इकरारनामा दिनॉक 20.05.2015 के तहत उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुये अनुमति चाही थी वादग्रस्त भूमि पटवारी प्रतिवेदन अनुसार भूमि स्वामी दर्ज है एवं खानदानी भूमि है इस कारण भले ही पट्टे पर प्राप्त भूमि हो तो भी भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत धारा 165 के तहत विकय की अनुमति आवश्यक नहीं है उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुये निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है जो वारिशान हक में आवेदक को प्राप्त हुयी है वर्तमान् में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इन्कार किया है कि आवेदक के पास शेष भूमि नहीं रहेगी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की है तथा आवेदक की कोई संतान नहीं है पति—पत्नि वृद्ध अवस्था में है जो शेष भूमि से अपना गुजर बसर कर सकते है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम महेन्द्रा तह0 रहली में स्थित भूमि ख0नं0 11/9, 11/21 रकवा क्रमशः 2.00,0.50हे0 कुल 2.50हे0 में से 2.00हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय—विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं — उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	